# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 46/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/210
दायर दिनांक :– 14.05.2024 निर्णय दिनांक :– 11.05.2026

1. बुधराम पुत्र गजाराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. गजाराम पुत्र केवलराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. मांगी पुत्री गजाराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. बजरंग पुत्र गजाराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**उपस्थित** :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

## –:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 121/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123/2 रकबा 0.8741 हैक्टेयर सरहद मौजा अनोपनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी तथा खसरा नम्बर 319/1 रकबा 6.6368 हैक्टेयर सरहद राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जमांबदी संवत् 2078–2081 संलग्न वाद पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का हक व हिस्सा है और इसी हिस्से अनुसार ही वादी मौके पर काबिज है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का हक व हिस्सा जन्म से निहित है। वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि का बैचान करने पर उतारू है जबकि उक्त भूमि पैतृक सम्पति होने से वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है और वादी का अपने पैतृक 1/4 हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कभी भी अकेले का कब्जा व काश्त नहीं रहा इसलिये वादी ग्राम अनोपनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 121/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123/2 रकबा 0.8741 हैक्टेयर तथा ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 319/1 रकबा 6.6368 हैक्टेयर भूमि में अपने पैतृक 1/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है। उक्त भूमि पर वादी का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त वादग्रस्त भूमि पैतिृक सम्पति

Satya.
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

है जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है जिस पर वादी का अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग रहवासी ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के लिए बाडे इत्यादि बना रखे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। इसलिये वादी ग्राम अनोपनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 121/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123/2 रकबा 0.8741 हैक्टेयर तथा ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 319/1 रकबा 6.6368 हैक्टेयर भूमि में अपने पैतृक 1/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। अभी दिनांक 05.03.2024 को वादी अपने पैतृक हिस्से की भूमि में सारसंभाल कर रहा था तब प्रतिवादी सं. 1 अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये उक्त भूमि बैचान संबंधित बाते करने लगे तथा प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को धमकी दी की उक्त सम्पूर्ण भूमि मेरे अकेले के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और मैं इनको बैचान कर रहा हुँ इसलिये तुम उक्त भूमि को खाली करदो नही तो मैं जोर जबरदस्ती तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर दूंगा। उस दिन तो वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को समझा बुझा कर निकाल दिया लेकिन जाते हुए। प्रतिवादी सं. 1 वादी को धमकी दी की मैं आइन्दा पुनः आकर तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर देगें। प्रतिवादी सं. 1 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील हो जाते है अगर प्रतिवादी सं. 1 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो वादी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा और वादी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में नही की जा सकता है। वादी असमर्थ एवं निर्धन है जबकि प्रतिवादी सं. 1 साधन सम्पन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका सामना वादी नहीं कर सकता है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में और प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम अनोपनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 121/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123/2 रकबा 0. 8741 हैक्टेयर तथा ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 319/1 रकबा 6.6368 हैक्टेयर भूमि में अपने पैतृक 1/4 हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो प्रतिवादी सं. 1 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह वाद पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी ग्राम अनोपनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 121/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123/2 रकबा 0.8741 हैक्टेयर तथा ग्राम राणेरी

Satya...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 319/1 रकबा 6.6368 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 गजाराम पुत्र केवलराम हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है। वादीगण ने उक्त वाद पैतृक सम्पति के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश किया है परन्तु वादीगण के पूर्वज केवलराम के नाम पूर्व में उक्त भूमि दर्ज थी या नही इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति साबित करने में वादी विफल रहा है। वादी ने उक्त वाद केवल वर्तमान जमाबंदी के आधार पर पेश किया है। उक्त वाद में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाया है न ही अपने बयान कलमबद्ध करवाये। वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

**क्रियात्मक आदेश**

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप**

**बइजलास पीठासीन अधिकारी – सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)**

1. बुधराम पुत्र गजाराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. गजाराम पुत्र केवलराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. मांगी पुत्री गजाराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. बजरंग पुत्र गजाराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मुकदमा संख्या :– 46/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई एवं पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.05.2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya..

(सत्य नारायण–I R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प<br>स्टाम्प वकालत नामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहन<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मिजान | | | स्टाम्प वकालत नामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा वाहन<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुत्फरिक<br>मिजान | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।